न्यायालय भू- अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायन अधिकारी :- भागीरथ राम R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 22/2018

प्रार्थी

1. लालूराम पुत्र बीजाराम जाति नाई
2. पारसमल पुत्र बीजाराम जाति नाई तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

ब नाम

विप्रार्थीगण

1. बालूराम पुत्र भगवानराम ब्राह्मण
2. वासूदेव पुत्र भगवानराम ब्राह्मण निवासी कल्याणपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र भगवानराम ब्राह्मण नि. कल्याणपुर
4. देवीसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत नि. असराबा
5. पेमसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
6. रूपसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपुरोहित नि. कल्याणपुर
7. उदयराम पुत्र पूनमाराम जाति चौधरी नि. असराबा
8. मुन्नाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी असराबा
9. गुमानसिंह पुत्र मगसिंह
10. पुखसिंह पुत्र भवरसिंह जातियान राजपुरोहित नि कल्याणपुर
11. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भु.रा. अधिनियम 1956 हेतु पैमाईश जरिये पत्थरगड्ढी

उपस्थित :-

आदेश

दिनांक 26-4-18

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्त विप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर. एल.आर एक्ट का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, प्रार्थीगण के सहसंयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 408/204 रकबा 34 बीघा किस्म बा.अ. खसरा संख्या 410/204 रकबा 06 बीघा 12 विस्वा किस्म बा.अ., कुल रकबा 40 बीघा 12 विस्वा सरहद मौजा बाकिया वास पटवार असराबा, तहसील पचपदरा में आयी हुई है। वक्त खरीद उक्त भूमि का रकबा 44 बीघा 05 विस्वा रहा है तदोपरान्त उक्त खसरो की भूमि में से सड़क का निर्माण होने से दो भागो मे विभक्त हुए। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कृषि भूमियों के विप्रार्थीगण पडौसीयान है, प्रार्थीगण की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हड़प करना चाहते है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण के खेत के पास ही आया हुए है, जिस कारण हमेशा खेत की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के खेतों के चारो तरफ बनी माठो को तोड कर नष्ट करने व प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के रकबे पर अतिक्रमण हेतु अमादा हुए, जिस पर प्रार्थीगण ने बुजुर्ग मौजिज लोगो से समझाईश करवाई, किन्तु विप्रार्थीगण ने कोई बात नही मानी एवं अपनी जिद्द पर अड़े रह कर प्रार्थीगण के खेतों के चारो तरफ बने सीमा को नष्ट करने को उतारु है। उपरोक्त विवाद की स्थिति को हमेशा-हमेशा से सुलझाने के लिए प्रार्थीगण के लिए अपने खातेदारी खेतों की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया, उक्त प्रार्थना पत्र से पहले प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब पचपदरा के आदेश से सीमाज्ञान भी दिनांक 26.06.2006 को करवाया, किन्तु विप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए जिस हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थीगण सं. 1 ता 03 ने जबाव प्रस्तुत किया तथा शेष विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी,

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

विप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा सं. 204 विप्रार्थी ... ता 03 के पिता की थी, जो सालिम खसरा था, उसके बाद नये तरमीमी खसरा सं. ... 204, 410/204 बने, किन्तु उक्त खसरो की तरमीम नक्शा लट्‌टा ट्रेस में कब की गई ... में कोई तिथी अंकित नही की गई है, तथा ट्रेस में तरमीम किसके द्वारा व किस आधार पर की उसका कोई उल्लेख म्युटेशनो पर नही है, और न ही ऐसी तरमीम भगवानाराम की सहमति से हुई, इस प्रकार खसरा सं. 408/204 की की गई तरमीम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के होने से बिना क्षेत्राधिकार की है, विप्रार्थी ने उक्त गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने हेतु कहते रहे, प्रार्थीगण ने कभी भी भगवानाराम के जीवनकाल में सीमाज्ञान करवाने हेतु नही कहा, साथ ही , काउन्टर प्रार्थना पत्र इस आस्य का पेश किया, कि खसरा सं. 404/204 की तरमीम बिना आधार की है, जो प्रार्थीगण ने मिलावट कर गलत दर्ज करवाई है, जिसकी दुरस्ती माफिक परिशिष्ट 'अ' जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, मार्क ए.बी.सी.ड़ी., बी.ई.एफ.जी.एच.सी. दुरस्त किया जावे।

जिसका जवाब प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि विप्रार्थीगण का उज्र चलने योग्य नही है, क्योकि वर्तमान प्रकरण मात्र सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी से सम्बधित है, मूल खसरे सं. 204 का तत्समय मे एकल खातेदार भगवानाराम था, के द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जरीये पंजीकृत दस्तावेज भूमि बेचान की उसमें बेचान सुदा भूमि का पड़ौस अंकित रहा है, बेचान से विप्रार्थीगण पाबंध है।

हमने उपस्थित उभय पक्षो के अधिवक्ता को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, सीमाज्ञान फर्द का अवलोकन व अध्ययन किया ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया और विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पक्षकारान् की ओर से जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये उससे यह स्पष्ट है, कि खसरा सं. 204 मूल खसरा रहा है, जिसका एकल खातेदार विप्रार्थी सं. 01 ता 03 के पिता रहे है, जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण को जरीये पंजीकृत विकय विलेख भूमि का भाग बेचान किया और बेचानसुदा रकबे का भाग का विवरण पड़ौस सहित बेचाननामा के पेज नंम्बर दो पर अंकित है। अलावा इसके वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया गया, उस वक्त वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी सं. 01 उपस्थित था, ने उक्त भूमि की तरमीम को सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये थे, उसके अतिरिक्त भी वर्तमान प्रकरण मात्र पत्थरगढ़ी के अनुतोष का है, जिसमें तरमीम के तथ्यो को नही उठाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 408/204 रकबा 34 बीघा किस्म बा.अ. खसरा संख्या 410/204 रकबा 06 बीघा 12 विस्वा किस्म बा.अ., कुल रकबा 40 बीघा 12 विस्वा सरहद मौजा बाकियावास पटवार असराबा, तहसील पचपदरा का सीमाज्ञान नाप जरीये पत्थर गढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक डोली को भू–मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, भू–मापक आयुक्त को निर्देश दिया जाता है, कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उक्त भूमियो की स्थाई बिन्दुओ से नाप कर बाद नाप मौके पर पत्थरगढ़ी कर न्यायालय में पालना रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करे। विप्रार्थी सं. 1 ता 03 द्वारा उठाया गया एतराज निराधार होने से अस्वीकार किये जाते है।पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज खुले न्यायालय में तारीख 26.04.18 को सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम, R.A.S.)

भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),

बालोतरा

राजस्थान सरकार

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा (राज.)

क्रमांक / राज. / वाद / 18 / 469

मुकदमा नम्बर 22 / 2018

दिनांक: 27-4-18

निर्णय दिनांक: 26.04.18

प्रेषित :— भू अभिलेख निरीक्षक, डोली

प्रार्थी

ब नाम

विप्रार्थीगण

1. लालूराम पुत्र बीजाराम जाति माई
2. पारसमल पुत्र बीजाराम जाति माई निवासी कल्याणपुर तह. पचपदरा

1. बालूराम पुत्र भगवानराम ब्राह्मण
2. वासुदेव पुत्र भगवानराम ब्राह्मण
3. ओमप्रकाश पुत्र भगवानराम ब्राह्मण नि. कल्याणपुर
4. देवीसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपुत नि. असराबा
5. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
6. रूपसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपुरोहित नि. कल्याणपुर
7. उदयराम पुत्र पुन्नाराम जाति चौधरी नि. असराबा
8. मुन्नाराम पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी असराबा
9. गुमानसिंह पुत्र मगसिंह
10. पुखसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित नि कल्याणपुर
11. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

धारा 111, 128 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

तहरीर आदेश

उपरोक्त अनवान मुकदमा में आपको खसरा सं. 408 / 204 रकबा 34 बीघा किस्म बा.अ. खसरा संख्या 410 / 204 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा किस्म बा.अ., कुल रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा वाक्ये मौजा बाकियावास पटवार असराबा, तहसील पचपदरा का सीमाज्ञान नाप जरिये पत्थर गाढ़ी करने हेतु भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, उक्त विवादित भूमि की पैमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षों को सूचित कर, न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना पैमाईश पत्थर गाढ़ी कर रैखाबंदी की पालना रिपोर्ट मय नक्शा न्यायालय में पेश करें।

o/c

भू अभिलेख अधिकारी (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

क्रमांक / राज / वाद / 18 / 490-491
27-4-18

प्रतिलिपि—

1. तहसीलदार पचपदरा को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पटवारी हल्का असराबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

o/c

भू अभिलेख अधिकारी (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

Scanned by CamScanner